मि.सं. 132/2022 (136 LRA / 188 RTA)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/3/26	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उप०। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि, ग्राम-चतुरपुरा तहसील चेचट में स्थित वादी की खातेदारी भूमि ख.नं. 346, 780/345, 349 एवं 350 के राजस्व नक्शे में त्रुटि है। वादी का कथन है कि राजस्व नक्शा (ट्रेस) एवं मौके की स्थिति में अंतर होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी को उसकी भूमि पर काश्त करने से रोक रहे है रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे है। वादी ने नक्शा दुरुस्त करने व स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। प्रतिवादी सं.1 (जगदीश) के खाते में स्थित ख.नं. 343, 344, 345/779 का कुल रकबा 0.93 हैक्टर है, जो मौके पर पूर्ण है। अतः वादी द्वारा अपने रकबे की कमी सम्बन्धित खातेदार (प्रतिवादी) से पूरा करना न्यायसंगत नहीं है, जबकि प्रतिवादी का रकबा नक्शा व जमाबंदी के अनुसार समान है। नायब तहसीलदार-चेचट से प्राप्त जवाब-दावा दिनांक 20.12.2022 के अनुसार वादी भूमि का खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 6/7/2022 के अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस एवं मौके की स्थिति में अन्तर विद्यमान है, अतः सीमाज्ञान पूर्ण नहीं हो सका। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 6/7/22 के अनुसार ख.नं. 344 व 779/345 के सीमाज्ञान हेतु मौके पर राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस से मौका स्थिति में भिन्नता है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान भू-प्रबन्ध विभाग की टीम द्वारा कराया जाना उचित होगा। अंकित किया गया है। लिखित बहस के सम्बन्ध में वादी स्वयं तथ्य पेश करे। [signature] उपखण्ड अधिकारी	

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पटवारी के प्रतिवेदन अवलोकन एवं विधिक विवेचन से यह स्पष्ट है कि सामान्य नक्शा ट्रेस और मौके पर कब्जे की स्थिति में भिन्नता प्रमाणित होती है, अत: भू-अभिलेख धारा 136 LRC नक्शे में सुधार की आवश्यकता है, ताकि विवाद का स्थायी समाधान हो सके। राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी/नक्शा) में अंतर के कारण अतिक्रमण (वादी) के भौतिक भू-अधिकार में बाधा की सम्भावना प्रमाणित नहीं है।
	पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 20/12/22 के अनुसार ख.नं. 349 की वर्तमान नाप से रकबा बराबर करने पर 0.89 हेक्टर आता है, जबकि मुताबिक जमाबंदी ख.नं. 349 का रकबा 0.97 हेक्टर दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार मौके पर 0.08 हे. भूमि कम है।
	अत: वादी का यह दावा कि प्रतिवादीगण द्वारा उसकी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है पूर्णत: गलत है, जब तक कि भू-प्रबंध विभाग की टीम द्वारा GPS सीमा ज्ञान नहीं कर लिया जाता है, तब तक किसी भी पक्ष को दोषी नहीं माना जा सकता है।
	वादी द्वारा वर्ष 2022 से 2024 तक कुल 8 अवसरों का पर्याप्त समय पाकर भी अपने दावे के पक्ष में यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि वादी का कमी रकबा 0.08 हेक्टर भूमि किस खसरा नम्बर में गया है। उक्त मुद्दा अथवा साक्ष्य/जवाब प्रस्तुत नहीं करना वादी की मंशा प्रकरण को लम्बित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रकार आदेश 9 नियम 4 CPC के तहत प्रस्तुत प्रा०पत्र कानूनी प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से किया जाना प्रतीत होता है, जिसे खारिज किया जाता है। अत: वादी पक्षों की दुर्भावना के कारण तथा अपने कथनों की पुष्टि हेतु पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 27/3/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी चारू [illegible] IAS.	